

सं. डब्ल्यू-11042/27/2014-एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

निर्मल भारत अभियान

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003, 04 अगस्त, 2014
दूरभाष - 011-24364427, फ़ैक्स - 24361062/24364869

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ।

विषय : एनबीए आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा सूचित एनबीए पर किया गया व्यय-से संबंधित।

महोदय/महोदया,

यह पाया गया है कि एनबीए के अंतर्गत अप्रैल, 2014 से जून, 2014 तक राज्यों द्वारा सूचित एनबीए पर व्यय बहुत कम प्रतीत हो रहा है। राज्य एनबीए एमआईएस पर अपने सभी व्यय नहीं सूचित कर रहे हैं।

यह उल्लिखित है कि राज्यों की सभी रिलीज प्रत्येक मद अर्थात आईएचएचएल, स्कूली, आंगनवाड़ी, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, एसएलडब्ल्यूएम, आईईसी तथा एचआरडी गतिविधियाँ आदि के समक्ष प्रविष्ट वित्तीय व्यय पर निर्भर करती हैं। राज्य यह सुनिश्चित करें कि एनबीए घटक के किसी भी घटक के प्रति 01 अप्रैल से आज तक किए गए सभी व्यय (राज्य तथा जिला दोनों स्तर पर) एमआईएस पर डाले गए हों। यदि कोई व्यय नहीं दिखाया गया है तो वह व्यय नहीं माना जाएगा और भविष्य के व्यय इससे प्रभावित होंगे।

तत्काल वित्तीय रिपोर्टिंग की जाए।

भवदीय,

(सुजाँय मजुमदार)
निदेशक, (एनबीए)

प्रति :

- i. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य एनबीए समन्वयक-सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- ii. तकनीकी निदेशक, एनआईसी-एमडीडब्ल्यूएस की वैबसाइट पर डालने हेतु।